अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि और समाचार पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई

777. **श्री रणजीत सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में आयातित अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि करने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी की गई है और इस प्रकार की वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सितम्बर-दिसम्बर, 1990 की अवधि के लिए आबंटित अखबारी कागज के कोटे की संबंधित समाचारपत्रों को अभी तक सप्लाई नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और समाचारपत्रों को इसकी सप्लाई कब तक कर दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) आयातित अखबारी कागज की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय तथ्यों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता ।

जनवरी-मार्च, 1991 की तिमाही के लिये स्टैंडर्ड और ग्लेज्ड अखबारी कागज की कीमत क्रमश: 12,280 रुपये और 17,645 रुपये प्रति मी० टन तय की गयी थी, जबकि इससे पूर्व की तिमाही में यह क्रमश: 11,800 रुपये और 16,650 रुपये प्रति मी० टन थी ।

(ग) और (घ) अखबारी कागज की सप्लाई निरंतर जारी रहती है और कागज, अखबारी कागज आबंटन नीति, 1990-91 के अनुसार आबंटित किया जा रहा है ।

विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली हिन्दी पत्रिकाएं

778. **श्री रजनी रंजन साहू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली हिन्दी पत्रिकाओं के क्या नाम हैं और उनके सम्पादन, मुद्रण तथा बिक्री के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ;

(ख) ऐसी पत्रिकाओं के नाम क्या हैं; जिनमें सम्पादकीय पद पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं और ऐसी पत्रिकाओं के नाम क्या हैं, जिनकी पांच सौ से कम प्रतियां निकलती हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ऐसी पत्रिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए किन कदमों पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और राज्य सभा के पटल पर रखी जायेगी ।

राजभाषा अधिनियम का पालन न किया जाना तथा उसकी उपेक्षा

779. **श्री रजनी रंजन साहू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों में राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ;

(ख) राजभाषा अधिनियम के उपबंधों के गैर-अनुपालन/उपेक्षा की स्थिति में उनके कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ;

(ग) विशेष रूप से ऊर्जा, प्रजल संसाधन, तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों में ऐसे

नेर-अनुपालन के बारे में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) ऐसी शिकायतों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के लिए क्या उपबन्ध हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाता है । सरकार की नीति के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम को प्रेरणा द्वारा तथा कई प्रकार के प्रोत्साहन और पुरस्कार प्रदान करके कार्यान्वित किया जाता है । वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन तिमाही प्रगति रिपोर्टों और आवधिक निरीक्षणों द्वारा किया जाता है । इस दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में गठित हिन्दी सलाहकार समितियों और राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भी की जाती है । वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में पाई गयी कमियों को संबंधित मंत्रालयों/कार्यालयों के ध्यान में लाया जाता है ताकि वे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक उपाय कर सकें । केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग के अन्तर्गत बम्बई, बंगलौर, भोपाल, कलकत्ता, कोचीन, गाजियाबाद और गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की स्थापना की गई है ।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग तथा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय अपने दिन-प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं । तथापि सरकार को जानकारी है कि न केवल प्रश्न में इंगित विभागों/मंत्रालयों में इस दिशा में कुछ कमी है बल्कि अन्य मंत्रालयों/विभागों में भी राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में कुछ कमी पायी गयी है । इन कमियों को दूर करने के लिए समय-समय पर कदम उठाये गये हैं । राजभाषा नियम के अनुसार राजभाषा नीति के अनुपालन का दायित्व सरकारी कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान का है । चूंकि सरकार की राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है, अतएव तथा-कथित दोषी अधिकारियों को दण्ड देने पर विचार नहीं किया गया है ।

Tenure of the Secretary to Lt. Governor, Delhi

780. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the laid down policy of Government tenure of Secretary to the Lt. Governor, Delhi is for three years;

(b) whether it is a fact that the present Secretary to the Lt. Governor, Delhi has been enjoying continuous stay for the last more than six years;

(c) whether it is also a fact that Orders to replace the said Officer has already been issued but yet he is continuing in the same position; and

(d) if so, on which ground the said offficer has continuously been working as Secretary to the Lt. Governor, Delhi and by which specific date, this Officer will be removed from the said seat?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) No tenure has been fixed for the post of Secretary to the Lt. Governor, Delhi.

(b) to (c) The present Secretary to the Lt. Governor has been in that post